सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 779 राँची, शुक्रवार, 11 अक्टूबर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 सितम्बर, 2019

विषयः- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार कर्मियों को दिनांक-01.04.2016 के प्रभाव से षष्टम् वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संख्या-01/माडा-04/2017/न०वि०आ०-4012-- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के कर्मियों को सम्प्रति पांचवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं पेंशन की राशि भुगतान की जा रही है। प्राधिकार के विभिन्न कर्मचारी संघों के द्वारा राज्यकर्मियों के तर्ज पर षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की मांग वर्षों से की जाती रही है। प्राधिकार कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने हेतु समय-समय पर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल भी किया जाता रहा है। दिनांक-16.09.19 को उपायुक्त, धनबाद, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों के समक्ष हड़ताल की समाप्ति हेतु आहुत बैठक की कार्रवाई में यह सहमति बनी है कि केन्द्रीय षष्टम् वेतन के अनुसार कर्मियों को वेतन दिये जाने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए।

2. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा प्राधिकार क्षेत्रांतर्गत जलापूर्ति की योजनाएं संचालित की जाती है। समय-समय पर हड़ताल किये जाने के फलस्वरूप जलापूर्ति बाधित होने से आम नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में राज्यकर्मियों को दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, नगर निकाय कर्मियों को दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का वैचारिक लाभ एवं दिनांक-01.04.2010 से वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा है।

4. झमाडा, धनबाद की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अबतक उन्हें षष्टम् वेतन पुनरीक्षण के लाभ प्रदान नहीं किया गया है। झमाडा के आर्थिक श्रोतों में वृद्धि हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कई उपाय किये गये हैं, यथा-बाजार फीस की वसूली एवं जलापूर्ति की दरों में वृद्धि। उपर्युक्त उपायों से झमाडा के राजस्व में परिणात्मक वृद्धि हुई है।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के द्वारा अपने कर्मियों का वेतन एवं भत्ता तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवानिवृत्तिक पावनाओं/पेंशनादि का भुगतान अपने आन्तरिक राजस्व स्रोतों से किया जाता है। अतएव, षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ झमाडा कर्मियों को प्रदान किये जाने से राज्य सरकार को कोई वित्तीय व्यय भार नहीं पड़ेगा।

5. अतएव सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के कर्मियों को दिनांक- 01.04.2016 के प्रभाव से षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड की बैठक दिनांक-25.09.2019 में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृत है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 779 -- 200